



2026: AHC: 3114

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय**

**आपराधिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या - 41604 सन् 2025**

प्रेम साहनी

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्ष

आवेदक की ओर से अधिवक्ता

:- अनिल कुमार

विपक्षी पक्ष की ओर से अधिवक्ता

:- जी.ए.

**न्यायालय संख्या - 68**

**माननीय न्यायमूर्ति श्री अशुतोष श्रीवास्तव**

आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य-प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान राज्य विधि अधिकारी श्री आर० के० निषाद को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।

वर्तमान जमानत प्रार्थना-पत्र आवेदक की ओर से, पुलिस थाना-चिलुआताल, जनपद-गोरखपुर में उत्तर प्रदेश गिराहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 2(ख)(i), 2(ख)(v), 2(ख)(xi) तथा 3(1) के अंतर्गत पंजीकृत वाद अपराध संख्या 684 सन् 2025 में, विचारण के लंबित रहने के दौरान जमानत पर उन्मोचित किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया कि आवेदक निर्दोष है तथा उसे दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से इस वाद में मिथ्या रूप से फंसाया गया है। गैंग-चार्ट में उल्लिखित आपराधिक इतिहास का स्पष्टीकरण जमानत प्रार्थना-पत्र के समर्थन में प्रस्तुत शपथपत्र में किया गया है। आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि गैंग-चार्ट में उल्लिखित सभी वादों में आवेदक को पूर्व में ही जमानत पर उन्मोचित किया जा चुका है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



यह आगे निवेदन किया गया है कि आवेदक किसी गिरोह का सदस्य, नेता या संगठक नहीं है और उसने अधिनियम की धारा 2 के खंड (ख) में वर्णित किसी भी गिरोह की गतिविधियों को न तो उकसाया है और न ही उनमें सहायता की है। उपरोक्त मामलों के अतिरिक्त आवेदक का कोई अन्य आपराधिक इतिहास नहीं है। आगे यह भी निवेदन किया गया है कि आवेदक के न्यायिक प्रक्रिया से भागने या साक्षियों के साथ छेड़छाड़ करने की भी कोई संभावना नहीं है। आवेदक, जो दिनांक 08.11.2025 से कारागार में निरुद्ध है, यह प्रतिज्ञा देता है कि जमानत दिए जाने की स्थिति में वह अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी इंगित किया गया है कि न्यायालय में मुकदमों के अत्यधिक लंबित होने के कारण, विचारण के शीघ्र संपन्न होने की कोई संभावना नहीं है।

आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा **प्रभाकर तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, 2020 (11) एस० सी० सी० 648** के वाद में पारित निर्णय का आधार लिया गया है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया है कि किसी अभियुक्त के विरुद्ध अनेक आपराधिक वादों का लंबित होना अपने आप में जमानत अस्वीकृत किए जाने का आधार नहीं हो सकता।

इसके विपरीत, विद्वान ए० जी० ए० आवेदक की जमानत प्रार्थना का विरोध नहीं कर सके तथा आवेदक के विरुद्ध गैंग-चार्ट में दर्शाए गए वादों के अतिरिक्त किसी अन्य वाद की ओर भी संकेत नहीं कर सके।

तथ्यों की समग्रता, प्रकृति और अभिलेख से परिलक्षित साक्ष्यों पर विचार करने के उपरांत तथा उक्त अधिनियम की धारा 19(4) के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, और मामले के गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त किए बिना, मैं इसे जमानत हेतु एक उपयुक्त मामला पाता हूँ। अतः, वर्तमान जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

आवेदक, **प्रेम साहनी**, को उपरोक्त वाद-अपराध संख्या में, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप एक व्यक्तिगत बंध-पत्र तथा समान धनराशि के दो विश्वसनीय प्रतिभू प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर उन्मोचित कर दिया जाए:

- (i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन नहीं देगा, न ही उसे डराएगा-धमकाएगा या कोई वचन देगा, जिससे कि उस

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट करने से रोका जा सके, और न ही साक्ष्यों के साथ कोई छेड़छाड़ करेगा।

- (ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें भयभीत नहीं करेगा।
- (iii) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष (i) मामले के प्रारंभ होने, (ii) आरोप विरचित किए जाने तथा (iii) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 351 के अंतर्गत कथन अंकित किए जाने हेतु नियत तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।
- (iv) आवेदक इस आशय का एक उपक्रम प्रस्तुत करेगा कि जब विचारण न्यायालय में साक्षी उपस्थित हों, तब साक्ष्य हेतु नियत तिथियों पर वह कोई स्थगन नहीं मांगेगा।
- (v) आवेदक, विचारण न्यायालय द्वारा नियत प्रत्येक तिथि पर, व्यक्तिगत रूप से अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत निरस्त करने का एक आधार होगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात केवल इस जमानत प्रार्थना-पत्र के निस्तारण के प्रयोजन तक ही सीमित है और किसी भी प्रकार से प्रकरण के गुण-दोष पर अभिव्यक्ति के रूप में नहीं मानी जाएगी। इस आदेश में कही गई किसी भी बात से प्रभावित हुए बिना विचारण न्यायालय प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अपने स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होगा।

(आशुतोष श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति)

7 जनवरी, 2026

पी के एस



Translated Version, Not For Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।